



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 5 राँची, बुधवार 12 फाल्गुन, 1942 (श०)
3 मार्च, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	36 -- 53
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	
भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम	
भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-9 — विज्ञापन	---
भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
पूरक--	
पूरक "अ"	

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग****अधिसूचना****12 फरवरी, 2021**

संख्या-2/राज0स्था0 DDO दुमका-04/2021-561/रा.-- श्री अलबर्ट बिलुंग, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियम-87 में निर्देशित प्रावधानों के अन्तर्गत आयुक्त कार्यालय, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका से संबंधित निम्नलिखित लेखाशीर्ष हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्तियाँ अगले आदेश तक के लिए प्रत्यायोजित की जाती हैं :-

(क) स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2053-जिला प्रशासन, लघुशीर्ष-101-आयुक्त, उपशीर्ष-01-मुख्य कार्यालय

(ख) राज्य स्कीम मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-102-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य/796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष-19-बाह्य स्रोत/अनुबंध पर अमीन, राजस्व कर्मचारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक, गृह रक्षक एवं अन्य कर्मियों की सेवा उपलब्धता।

(ग) राज्य स्कीम मुख्यशीर्ष-2029-भू-राजस्व, लघुशीर्ष-102-सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य/796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजन, उपशीर्ष-20-मशीन, उपकरण एवं उपस्कर इत्यादि।

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

3. श्री अलबर्ट बिलुंग, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका को यह शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका अथवा प्रमण्डलीय आयुक्त के सचिव, आयुक्त कार्यालय, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पदस्थापन तक के लिए प्रदत्त की जाती है।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभिषेक श्रीवास्तव,

सरकार के संयुक्त सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

22 जनवरी, 2021

संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध-04/18-609/रा.,-- जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम) संख्या-37, सन् 1948) के तहत जनगणना नियम, 1990 के नियम-8(iv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना-2021 के लिए झारखण्ड राज्य के सभी प्रशासनिक इकाइयों यथा: जिला/अनुमण्डल/प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत/छावनी परिषद/वार्ड/ पंचायत/ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक-31.12.2019 के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किये जाने से संबंधित निर्णय अधिसूचित किया गया था।

2 - भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के अर्द्ध सरकारी पत्रांक-9/33/2019-CD (CEN) दिनांक-28.07.2020 के आलोक में COVID-19 के संक्रमण के कारण उक्त प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन की पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-31.12.2019 को दिनांक-31.12.2020 तक विस्तारित की गयी।

3 - संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के अर्द्ध सरकारी पत्रांक-9/33/2019-CD (CEN) दिनांक-22.01.2021 के आलोक में COVID-19 महामारी के कारण उक्त प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन की तिथि को दिनांक-31.03.2021 तक विस्तारित की जाती है। अर्थात् दिनांक-31.03.2021 के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन जनगणना कार्य की समाप्ति तक नहीं किया जायेगा। दिनांक-31.03.2021 तक प्रशासनिक इकाइयों में होने वाले परिवर्तन से संबंधित अधिसूचना की प्रति संबंधित उपायुक्त/विभाग, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखण्ड राँची को उपलब्ध करायेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल. खियांगते,

अपर मुख्य सचिव-सह-
राज्य समन्वयक (जनगणना)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना**18 फ़रवरी, 2021**

संख्या-2/राज.स्था.-18/10-642 -- राय छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-3 (viii) (ए) के अंतर्गत झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा, 46, 71 (क) तथा 215 (5) के अंतर्गत श्री प्रदीप प्रसाद, अपर उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिलान्तर्गत राजस्व न्यायालय के वार्दों का निष्पादन हेतु उपायुक्त की शक्तियाँ प्रदत्त करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

**अधिसूचना
21 जनवरी, 2021**

संख्या-4/नि०सं०-12-120/2015 का. 470-- श्रीमती मारुति मिंज, झा०प्र०से० (वरीयता क्रमांक-361/20, गृह जिला- गुमला), व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड), हेहल, राँची को दिनांक 24.04.2019 से 31.07.2019 तक (99 दिन) एवं दिनांक 07.04.2020 से 11.05.2020 तक (35 दिन) कुल 134 दिनों के उपार्जित अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

**अधिसूचना
01 फरवरी, 2021**

संख्या-3/नि०सं०-09-17/2020 का० 687 -- श्री मुरली मनोहर प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-627/03), संयुक्त सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 14.09.2020 से दिनांक 13.10.2020 तक (कुल 30 दिन) निरोधा अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 166 के अधीन परिशिष्ट 13 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना**04 फरवरी, 2021**

संख्या-4/नि0सं0-12-174/2015 का. 771-- श्री शैलेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-148/20, गृह जिला- खगड़िया), उप निर्वाचन पदाधिकारी, पलामू के दिनांक 01.10.2016 से 08.02.2017 तक (कुल 131 दिन) के उपार्जित अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

अधिसूचना
15 जनवरी, 2021

संचिका संख्या-01/स्था0राज0 (स्थानान्तरण)-08/2012 सह0-198-- श्री रामनाथ मांझी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिमडेगा दिनांक-28.12.2020 से चिकित्सा अवकाश में चले गये हैं। ऐसी स्थिति में कार्यहित में श्री कुमोद कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गुमला को (अपने कार्यों के अतिरिक्त) श्री मांझी के अवकाशसे लौटने तक की अवधि के लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिमडेगा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सिमडेगा एवं महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, सिमडेगा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संचिका संख्या-01/स्था0राज0 (स्थानान्तरण)-08/2012 सह0-199-- श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, गोड्डा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोड्डा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संचिका संख्या-01/स्था0राज0 (स्थानान्तरण)-08/2012 सह0-200-- श्री मनीषकुमार मेहरा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जामताड़ा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी, जामताड़ा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

02. जिन पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उन्हें अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई आर्थिक लाभ देय नहीं होगा।

03. अतः झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 6(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल अधिसूचना में उल्लिखित सभी पदाधिकारियों को स्तम्भ-3 में वर्णित शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 के अन्तर्गत निबंधक सहयोग समितियाँ की वे शक्तियाँ प्रदत्त करते हैं, जो नीचे स्तम्भ-2 में अंकित हैं:-

क्र०	शक्तियाँ	शक्ति सीमा
1	2	3
1	झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 की धारा 8(1)B,9,10,11,12,14,20,25,35,36 एवं 39 के अधीन ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक सहयोग समितियाँ के संबंध में एवं धारा 34, 48 (उप धारा 6 एवं 8 को छोड़कर) 50, 52, 54 एवं 58 के अधीन सीमित एवं असीमित दायित्वों वाली सभी शक्तियाँ तथा झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली, 1959 की तत्संबंधी नियमों के अधीन निबंधक, सहयोग समितियाँ की शक्तियाँ	उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ की सारी शक्तियाँ
2	झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 1935 की धारा 26, 44(5), 48(6), 48(8) एवं 56 को छोड़कर अन्य सारी शक्तियाँ एवं झारखण्ड सहकारी सोसाईटी नियमावली 1959 के नियम-37, 38 एवं 39 को छोड़कर नियम 20, 22, 23, 24 एवं 25 सहित अन्य सारी शक्तियाँ।	उनके क्षेत्राधिकार के अन्दर जिला सहकारिता पदाधिकारी की सारी शक्तियाँ

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण,
सरकार के अवर सचिव।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

अधिसूचना
17 जनवरी, 2021

संचिका संख्या-01/स्था0राज0 (स्थानान्तरण)-41/2020 सह0-207 -- श्री संजय कुमार सिन्हा, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ, हजारीबाग को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ, चतरा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

संचिका संख्या-01/स्था0राज0 (स्थानान्तरण)-41/2020 सह0-208-- श्री विनोद कुमार, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ, लोहरदगा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

02. जिन पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उन्हें अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई आर्थिक लाभ देय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

01 फरवरी, 2021

संख्या-4/नि०स०-12-01/2018-1077 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्रीमती नम्रता जोशी, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-कानपुर, उत्तर प्रदेश) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	NAMRATA JOSHI- (110077710626)	DC OFFICE RANCHI	<u>BUDHMU BLOCK</u> <u>RANCHI</u> Block Development Officer	15/06/2016	15/06/2018

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3017

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

18 फरवरी, 2021

संख्या:- 02 स्था०-133/2013- 339 /वि०स० -- सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या- 1644, दिनांक 15.09.2020, अधिसूचना संख्या- 1728, दिनांक-24.09.2020, अधिसूचना संख्या- 2224, दिनांक:- 11.12.2020 एवं अधिसूचना संख्या- 34, दिनांक:-11.01.2021 के क्रम में झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के सभी समितियों की आंतरिक नियमावली का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित प्रारूप समिति का अंतिम अवधि विस्तार इस शर्त के साथ दिनांक-31 मार्च, 2021 तक के लिए किया जाता है कि समिति कार्य अविलम्ब/आवश्यक पूर्ण करें।

अध्यक्ष झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

नवीन कुमार,

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

**कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)**

**अधिसूचना
23 फरवरी, 2021**

ज्ञापांक:-01/स्था0सह0-163/2005 (खण्ड-1)-226-- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5(1) में निहित प्रावधान के अनुसार श्री सतीश कुमार, उप सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची हेतु जन सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

02. उक्त संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
03. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
04. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण,
सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

18 फरवरी, 2021

संख्या-03/नि०सं०-09-21/2015 का. 1045-- श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-596/03), परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, साहेबगंज को दिनांक 10.06.2020 से 04.10.2020 तक (कुल-117 दिन) रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 फरवरी, 2021

संख्या-03/नि०सं०-09-15/2014 का. 924-- श्री आसिफ एकराम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-792/03), अपर समाहर्ता, भू-हदबंदी, राँची को दिनांक 09.12.2020 से दिनांक 03.01.2021 तक (कुल 26 दिन) निरोधा अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 166 के अधीन परिशिष्ट 13 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना**12 फरवरी, 2021**

संख्या-4/नि०सं०-12-07/2015 का.- 952-- श्री हीरा कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-97/20, गृह जिला-राँची) अंचल अधिकारी, बहरागोडा, पूर्वी सिंहभूम के दिनांक 01.10.2020 से 12.11.2020 तक (कुल 43 दिन) के उपार्जित अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना**12 फरवरी, 2021**

संख्या-4/नि०सं०-12-10/2019 का. 953-- श्री रणजीत कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 546/20, गृह जिला- राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धुर्की, गढ़वा को दिनांक 20.10.2020 से 27.11.2020 तक (कुल 39 दिन) के उपार्जित अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

15 फरवरी, 2021

संख्या-1/विविध-826/2017 कां०- 993-- श्री अनन्य मित्तल, भा.प्र.से. (झा:2015), उप विकास आयुक्त, राँची को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 12.02.2021 से 20.02.2021 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

18 फरवरी, 2021

संख्या-03/नि०सं०-09-06/2021 का. 1055-- श्री यतीन्द्र प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-583/03), विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को दिनांक 11.01.2021 से दिनांक 31.01.2021 तक (कुल 21 दिन) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**22 जनवरी, 2021 ई०।**

संख्या-14/ए०-09/2016 (खण्ड-II)- 351 -- विज्ञापन संख्या-01/2015 के द्वारा विज्ञापित अनुचर स्तरीय पदों पर हुई नियुक्ति को अधिसूचना संख्या-3646, दिनांक-23.06.2016 के माध्यम से तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध दायर W.P. (S) No.-3976/2016 दिकेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश मामलों में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।

माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या-3646, दिनांक-23.06.2016 द्वारा नियुक्ति रद्द किये जाने संबंधी आदेश को वर्तमान निर्गत अधिसूचना की तिथि से निरस्त किया जाता है।

दिनांक-23.06.2016 से वर्तमान आदेश निर्गत की तिथि तक की अवधि **"No work no pay"** के रूप में मान्य किया जाता है एवं उक्त अवधि में सेवा टूट नहीं समझा जाएगा।

उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

आदेश

22 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-14/ए०-114/2014- 378 -- जापन सं०-2802, दिनांक-07.08.2020 के माध्यम से श्री प्राण रंजन कुमार, तत्कालीन थाना प्रभारी, गोला, रामगढ़ सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), गुमला के विरुद्ध गोला थाना कांड संख्या-21/2008, दिनांक 25.02.2008 मामले में अभियोजन पक्ष को कमजोर करने संबंधी आरोप के लिए आरोप पत्र गठित किया गया।

आरोप के संदर्भ में श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरान्त श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार करते हुये जापन संख्या-2802, दिनांक-07.08.2020 के माध्यम से गठित आरोप पत्र का एतद् द्वारा निस्तार किया जाता है।

उक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना**08 अक्टूबर, 2020 ई०।**

संख्या-14/ए०-22/2019- 3829 -- श्री सुरेश प्रसाद पासवान, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (प्रशासन), पुलिस उप-महानिरीक्षक कार्यालय, संथाल परगना क्षेत्र, दुमका सम्प्रति सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक को अधिसूचना संख्या-5541, दिनांक-16.10.2019 के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की तिथि से निलम्बित किया गया था।

उक्त मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण श्री पासवान को उनके सेवानिवृत्ति तिथि 31.01.2020 से निलम्बन मुक्त किया जाता है।

निलम्बन अवधि के संबंध में कोई भी निर्णय सरायदेला (धनबाद) थाना काण्ड संख्या-65/2019, दिनांक-13.04.2019 में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मुकदमें में न्यायादेश आने के फलाफल पर निर्धारित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,
सरकार के संयुक्त सचिव।
